# 3: विनियोग लेखे: 2016-17

## 3.1 प्रस्तावना

संसद द्वारा पारित विनियोग अधिनियम, सरकार को चयनित सेवाओं के लिए भारत की समेकित निधि (सीएफआई) से उपयुक्त विशिष्ट राशियों के विनियोग का प्राधिकार देता है। संसद, संविधान के अनुच्छेद 115 के अंतर्गत अनुवर्ती विनियोग अधिनियमों द्वारा अनुपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान भी संस्वीकृत करती है। विनियोग अधिनियमों में अनुच्छेद 114 तथा 115 के नियमानुसार विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत संसद द्वारा दत्तमत की गई सेवाओं पर संवितरण तथा अनुच्छेद 112(3) के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 273, 275 तथा 293 के अनुसार सीएफआई को प्रभारित किए गए संवितरण को प्राधिकृत किया गया है। सरकार प्रत्येक वर्ष विभिन्न सेवाओं पर उसके द्वारा वास्तव में व्यय की गई सकल राशि तथा विनियोग अधिनियमों द्वारा प्राधिकृत किए गए व्यय के विवरणों को दर्शाते हुए विनियोग लेखे तैयार करती है।

महालेखा नियंत्रक (सीजीए) सिविल मंत्रालयों के संबंध में विनियोग लेखे तैयार करता है। रक्षा मंत्रालय, रेल तथा डाक विभाग अपने सबंधित अनुदानों के विनियोग लेखे तैयार करते हैं। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक प्रत्येक वर्ष संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सहित सिविल, रक्षा, डाक तथा रेलवे के संबंध में चार विनियोग लेखे राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, जो इन्हे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाते हैं। 2016-17 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के अनुदानों/विनियोगों के लिए मांगों का विवरण निम्नानुसार है:

| मंत्रालय | अनुदानों/विनियोगों के लिए मांगों की संख्या |
|---|---|
| सिविल | 95 |
| रक्षा | 2 |
| डाक | 1 |
| रेलवे | 16 |
| **योग** | **114** |

इस अध्याय में विनियोग लेखाओं (सिविल, डाक तथा रक्षा), पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां शामिल हैं जिनमें आबंटन से अधिक व्यय, जिसके लिए संसद द्वारा विनियमन आवश्यक हो, अव्ययित प्रावधान जिसके लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, अनियमित तथा अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन, कुछ मंत्रालयों द्वारा

आवश्यकता के बिना प्राप्त किए गए अनुपूरक प्रावधान तथा अवास्तविक बजटीकरण का विश्लेषण शामिल है। सिविल मंत्रालयों/विभागों, डाक तथा रक्षा सम्बन्धी अनुदानों/विनियोगों के सबंध में आधिक्यों के साथ-साथ बचतों पर इस अध्याय में विचार किया गया है। तथापि, रेलवे विनियोग पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष, वर्ष 2016-17 से सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उपलब्ध हैं। तथापि, संपूर्ण रूप में विनियोग प्रक्रिया को आवृत्त करने के लिए जहां कहीं आवश्यक है, रेलवे विनियोगों के संदर्भ दिए गए हैं।

## 3.2 2016-17 के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों तथा बचतों का सारांश

नीचे **चार्ट 3.1** वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान मंत्रालयों/विभागों सिविल, डाक, रेलवे तथा रक्षा में व्यय के ब्यौरे को दर्शाता है। कुल सकल व्यय का अधिकतम व्यय अर्थात् 92.95 प्रतिशत सिविल मंत्रालयों द्वारा किया गया था जबकि रेलवे द्वारा 3.94 प्रतिशत, रक्षा द्वारा 2.81 प्रतिशत तथा डाक विभाग द्वारा 0.30 प्रतिशत व्यय किया गया था।

**चार्ट: 3.1 वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान सिविल मंत्रालयों/विभागों, डाक, रक्षा तथा रेलवे के बीच व्यय का ब्यौरा**

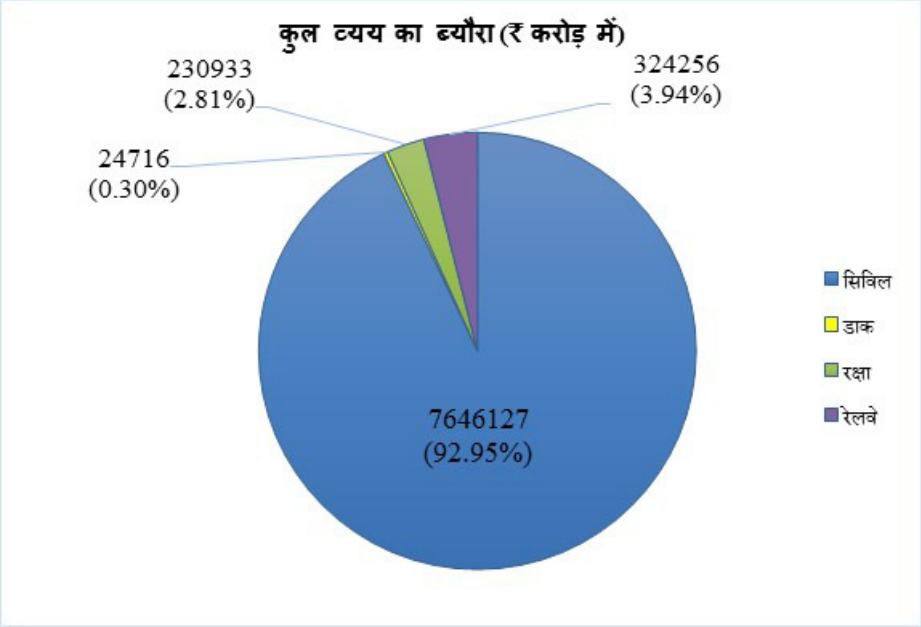


**नीचे तालिका 3.1** वर्ष 2016-17 के दौरान सिविल मंत्रालयों/विभागों, डाक रक्षा तथा रेलवे में व्यय दर्शाती है।

### तालिका 3.1- वर्ष 2016-17 के दौरान प्रभारित एवं दत्तमत के अन्तर्गत व्यय

*(₹ करोड़ में)*

| सिविल | | डाक | | रक्षा | | रेलवे | | कुल | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7646127 | | 24716 | | 230933 | | 324256 | | 8226032 | |
| दत्तमत | प्रभारित | दत्तमत | प्रभारित | दत्तमत | प्रभारित | दत्तमत | प्रभारित | दत्तमत | प्रभारित |
| 1343888 | 6302239 | 24713 | 3 | 230740 | 193 | 323849 | 407 | 1923190 | 6302842 |
| 17.58% | 82.42% | 99.99% | 0.01% | 99.92% | 0.08% | 99.87% | 0.13% | 23.38% | 76.62% |

**तालिका 3.2** में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान सरकार के कुल प्रावधानों (प्रभारित तथा दत्तमत दोनों) तथा संवितरणों को दर्शाया गया है। **अनुबंध 3.1** सिविल मंत्रालयों, डाक, रेलवे तथा रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखाओं के सारांश के ब्यौरे प्रस्तुत करता है।

### तालिका 3.2: 2016-17 के दौरान प्रावधान, संवितरण तथा बचत

*(₹ करोड़ में)*

| विभाग | कुल प्रावधान | संवितरण | बचत(-) आधिक्य(+) | कुल प्रावधान की तुलना में बचत/आधिक्य की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|
| सिविल | 7647199.05 | 7646126.71 | (-)1072.34 | 0.01 |
| डाक | 23832.36 | 24716.30 | (+)883.94 | 3.71 |
| रक्षा सेवाएं | 233639.90 | 230932.73 | (-)2707.17 | 1.16 |
| रेलवे | 362110.10 | 324255.89 | (-) 37854.21 | 10.45 |
| **कुल योग** | **8266781.41** | **8226031.63** | **(-) 40749.78** | **0.49** |

सिविल मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत, ₹10,72.34 करोड़ की निवल बचत 93 विनियोगों/अनुदानों में ₹1,90,226.60 करोड़ की बचत तथा दो विनियोगों/अनुदानों के अंतर्गत ₹1,89,154.26 करोड़ के अधिक व्यय के कारण थी।

सिविल मंत्रालयों/विभागों में ₹1,90,226.60 करोड़ की समग्र बचत में से अनुदान संख्या 17-खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (₹53,478 करोड़), अनुदान सं.74-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (₹46,838 करोड़) तथा अनुदान सं.29-आर्थिक मामलों का विभाग (₹13,355 करोड़), में ₹10,000 करोड़ से अधिक की बचत हुई थीं।

सिविल मंत्रालयों/विभागों में ₹1,89,154.26 करोड़ का समग्र अधिक व्यय अनुदान सं. 33-विनियोग ऋण का पुनर्भुगतान (₹1,86,954.42 करोड़) एवं अनुदान सं. 21-रक्षा पेंशन (₹2,199.84 करोड़) में हुआ।

सिविल मंत्रालयों/विभागों से संबंधित अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 93 अनुदानों/विनियोगों के 194 खण्डों[1] में बचत और दो अनुदानों के तीन खण्डों में आधिक्य; डाक के एक अनुदान के दो खण्डों में बचत तथा एक खण्ड में आधिक्य; और रक्षा के दो अनुदानों के दो खण्डों में बचत एवं दो खण्डों में आधिक्य और रेलवे[2] के 16 अनुदानों के 26 खंडों में बचत और छः खण्डों में आधिक्य हुआ। **अनुबंध 3.2** बचत और आधिक्य के सार को दर्शाता है।

## 3.3 प्रभारित तथा दत्तमत संवितरण

संविधान के अनुच्छेद 112(2) के अनुसार, प्रभारित एवं दत्तमत व्यय के बीच एक अन्तर बनाया गया है। प्रभारित व्यय को संविधान के अनुच्छेद 112(3), 273, 275(1) तथा 293(2) में परिभाषित किया गया है। प्रभारित व्यय के अनुमानों को संसद के मत के अधीन नहीं लाया जा सकता जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 113(1) में निर्धारित है, परंतु संसद के किसी भी सदन में उस पर चर्चा की जा सकती है। **अनुबंध 3.3** में 2000-01 से 2016-17 की अवधि के लिए सिविल मंत्रालयों/विभागों की प्राधिकृत मांगों (अनुदान तथा विनियोग) के प्रति किए गए वास्तविक संवितरणों का विवरण शामिल है।

2016-17 के दौरान, सिविल मंत्रालयों/विभागों के अन्तर्गत ₹76,46,127 करोड़ के कुल संवितरण 2015-16 के दौरान ₹55,29,473 करोड़ के कुल संवितरण की तुलना में ₹21,16,654 करोड़ (38.28 प्रतिशत) तक अधिक थे। यह 2012-13 में ₹47,93,466 करोड़ से 59.51 *प्रतिशत* तक बढ़ा था। प्रभारित संवितरण 2012-13 के ₹38,16,395 करोड़ से 65.14 *प्रतिशत* तक बढ़ कर 2016-17 में ₹63,02,239 करोड़ हो गए तथा उसी अवधि में दत्तमत संवितरण ₹9,77,071 करोड़ से 37.54 *प्रतिशत* बढ़ कर ₹13,43,888 करोड़ तक हो गए थे। 2012-13

[1] प्रत्येक अनुदान/विनियोग में चार खण्ड जैसे राजस्व दत्तमत्त, राजस्व प्रभारित, पूंजीगत दत्तमत्त और पूंजी प्रभारित है।

[2] रेलवे के अनुदान सं. 16 में तीन दत्तमत तथा तीन प्रभारित खंड हैं।

के दौरान सिविल मंत्रालयों/विभागों के प्रभारित संवितरण कुल संवितरणों के 80 *प्रतिशत* थे जो 2016-17 के दौरान बढ़कर 82 प्रतिशत हो गया।

2016-17 में, मुख्य प्रभारित संवितरणों में विनियोग-ऋण का पुनर्भुगतान (₹56,78,823 करोड़), विनियोग-ब्याज भुगतान (₹5,04,515 करोड़) तथा राज्यों को अंतरण (₹1,13,314 करोड़) सम्मिलित थे। चूंकि प्रभारित संवितरण के अनुमान संसद के मतदान के अधीन नहीं हैं इसलिए संसद द्वारा प्रभावी वित्तीय नियंत्रण की गुंजाइश संघ सरकार के सिविल मंत्रालयों/विभागों के कुल संवितरण के 18 *प्रतिशत* तक ही सीमित होती है।

सिविल, डाक, रक्षा सेवाओं तथा रेलवे सहित सीएफआई से ₹82,26,032 करोड़ राशि के कुल संवितरणों की स्थिति के प्रति वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान प्रभारित संवितरणों की प्रतिशतता 77 प्रतिशत (₹63,02,842 करोड़) थी।

**चार्ट 3.2: 2012-13 से 2016-17 तक के वर्षों के दौरान प्रभारित तथा दत्तमत भागों के अंतर्गत संवितरण**

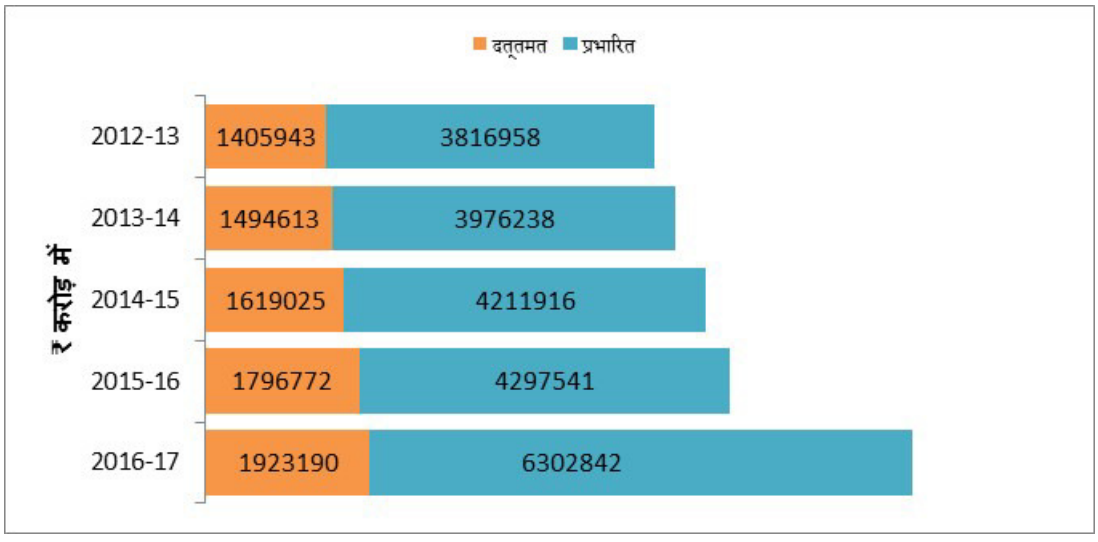

# विनियोग लेखे 2016-17: एक विश्लेषण

## 3.4 अधिक संवितरण वाले अनुदान/विनियोग

संविधान का अनुच्छेद 114(3) प्रावधान करता है कि विधि द्वारा पारित किए गए विनियोगों के अतिरिक्त, कोई भी धन भारत की समेकित निधि से आहरित नहीं किया जा सकता। सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) 2005, का नियम 52(3) अनुबंध करता है कि अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने या आकस्मिक निधि से अग्रिम को छोड़कर, कोई ऐसा संवितरण नहीं किया जाना चाहिए जिसका प्रभाव किसी वित्तीय वर्ष के दौरान संसद द्वारा प्राधिकृत कुल अनुदान अथवा विनियोग से आधिक्य में हो जाए। 2016-17 के दौरान सीएफआई में से प्राधिकरण से ₹1,90,270.18 करोड़ का अधिक संवितरण था जिसमें से सिविल मंत्रालयों/विभागों में दो अनुदानों/विनियोगों के तीन खण्डों में ₹1,89,154.26 करोड़ तथा डाक के एक अनुदान के एक खण्ड में ₹936.48 करोड़, रक्षा के एक अनुदान के दो खण्डों में ₹146.31 करोड़ तथा रेलवे के तीन अनुदानों के छः खण्डों में ₹33.13 करोड़ का अधिक संवितरण हुआ था।

अधिक व्यय, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 115(1)(ख) के अंतर्गत नियमित करना आवश्यक था, के ब्यौरे **तालिका 3.3** में दिए गए हैं

**तालिका 3.3: अनुदानों/विनियोगों से अधिक संवितरण के विवरण**

| क्र. सं. | अनुदान/विनियोग का विवरण | राशि ₹ में | | मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए आधिक्य के कारण |
|---|---|---|---|---|
| **सिविल** | | | | |
| **राजस्व (दत्तमत)** | | | | |
| 1. | 21-रक्षा पेंशन | अनुदान<br>व्यय<br>आधिक्य | *856246000000*<br>*878241577250*<br>*21995577250* | पेंशनों के संशोधन हेतु विभिन्न सरकारी आदेशों/7वें सीपीसी आदेशों के कार्यान्वयन तथा पेंशन वृद्धि/पेंशन-राहत की बढ़ी हुई दर तथा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बजट प्रभाग) के का.ज्ञा. सं.2(10)-बी(एसी)/2017 दिनांक 05.09.2017 के अनुदेशों के अनुसार उचन्त के अन्तर्गत राशि का निपटान करने के लिए बैंकों से प्राप्त लम्बित पेंशन नामावलियों को दर्ज करने के कारण अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण। |
| ***राजस्व (प्रभारित)*** | | | | |
| 2. | 21-रक्षा पेंशन | विनियोग<br>व्यय<br>आधिक्य | *13600000*<br>*16408608*<br>*2808608* | न्यायालय निर्णयों का कार्यान्वयन होने के कारण। |

| क्र. सं. | अनुदान/विनियोग का विवरण | राशि ₹ में | | मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए आधिक्य के कारण |
|---|---|---|---|---|
| *पूंजीगत (प्रभारित)* | | | | |
| 3. | *33 -विनियोग – ऋण का पुनर्भुगतान* | विनियोग<br>व्यय<br>आधिक्य | *54918687800000*<br>*56788231993269*<br>*1869544193269* | राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में अपनी वित्तीय दायित्वों को चुकाने के लिए भारी मात्रा में राशि का आहरण करने के कारण। |
| **डाक**<br>**राजस्व (दत्तमत)** | | | | |
| 4. | 13 –डाक विभाग | अनुदान<br>व्यय<br>आधिक्य | *232724100000*<br>*242088875842*<br>*9364775842* | 7वें सीपीसी के लागू होने के कारण वेतन तथा पेंशन की प्रतिबद्ध देयताओं का भुगतान करने के कारण। |
| **रक्षा**<br>**पूंजीगत (दत्तमत)** | | | | |
| 5. | 23 –रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | अनुदान<br>व्यय<br>आधिक्य | 784995662000<br>786041132013<br>1045470013 | सीमाशुल्क तथा उत्पादशुल्क के भुगतान; कैबिनेट सचिव समिति द्वारा स्मरेक हेतु रॉकेट के लिए अनुमोदित ठेकों के संबंध में प्रतिबद्ध देयताओं के भुगतान, महानिदेशक आयुध कारखाने द्वारा उत्पादशुल्क के भुगतान तथा आपातकालीन अधिप्रापण के संबंध में अग्रिम भुगतान, रोलिंग स्टॉक के लिए प्रतिबद्ध देयता के भुगतान, निर्माणकार्यों के लिए अतिरिक्त मांग प्राप्त करने, चीन अध्ययन समूह (सीएसजी) सड़कों, पूर्वी क्षेत्र में अधोविकास तथा विवाहित आवास परियोजना, पश्चिम बंगाल सरकार से डायमंड हारबर (मॉउजा दक्षिणपुर) में भूमि अधिग्रहण, विशेष तथा सामान्य प्रयोजन वाहनों की आवश्यकता में वृद्धि होने, आयातित उपकरण पर सीमाशुल्क के भुगतान के कारण बहुत अधिक व्यय, वार्षिक कार्य योजना अनुरक्षण के अंतर्गत व्यय में भारी वृद्धि होने, वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान विवाहित आवास परियोजनाओं तथा अन्य पूंजीगत निर्माणकार्य, नीतिक परियोजनाओं की उन्नति के लिए अतिरिक्त व्यय, 15 हैवी लाइट हेलीकॉप्टर, 51 मिराज एवं अंतरिम अनुरक्षण सेवा योजना, मिग 21- उन्नयन के संबंध में साखपत्र के माध्यम से जारी अनिवार्य संविदात्मक भुगतान, रक्षा वस्तुओं पर लागू सीमाशुल्क तथा विनिमय दर परिवर्तन के कारण। |

| क्र. सं. | अनुदान/विनियोग का विवरण | राशि ₹ में | | मंत्रालयों/विभागों द्वारा बताए गए आधिक्य के कारण |
|---|---|---|---|---|
| *पूंजीगत (प्रभारित)* | | | | |
| 6. | *23 –रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय* | *विनियोग*<br>*व्यय*<br>*आधिक्य* | *895838000*<br>*1313471564*<br>*417633564* | न्यायालय-मामलों का प्रत्याशा से अधिक निपटान होने के कारण। |
| **रेलवे**<br>**राजस्व (प्रभारित)** | | | | |
| 7. | *4 –*स्थायी मार्ग तथा निर्माण कार्य का अनुरक्षण तथा मरम्मत | *विनियोग*<br>*व्यय*<br>*आधिक्य* | *17161000*<br>*17938229*<br>*777229* | *प्रत्याशा से अधिक गिरावट का भुगतान करने के कारण।* |
| 8. | *7 –*संयंत्र तथा उपकरण की मरम्मत तथा अनुरक्षण | *विनियोग*<br>*व्यय*<br>*आधिक्य* | *7145000*<br>*7197739*<br>*52739* | |
| **पूंजीगत (दत्तमत)** | | | | |
| 9. | 16 –*रेलवे सुरक्षा निधि (आरएसएफ)* | अनुदान<br>व्यय<br>आधिक्य | *107803000000*<br>*108027229844*<br>*224229844* | प्रत्याशा से अधिक स्टोर डेबिटों के भुगतान, प्रत्याशा से अधिक संविदात्मक भुगतानों तथा निर्माण कार्य की बेहतर प्रगति के कारण। |
| **पूंजीगत (प्रभारित)** | | | | |
| *10.* | *16 –पूंजीगत* | *विनियोग*<br>*व्यय*<br>*आधिक्य* | *2200043000*<br>*2280518428*<br>*80475428* | *प्रत्याशा से अधिक गिरावट का भुगतान करने के कारण।* |
| *11.* | *16 –रेलवे सुरक्षा निधि (आरएसएफ)* | *विनियोग*<br>*व्यय*<br>*आधिक्य* | *170872000*<br>*192285542*<br>*21413542* | |
| *12.* | *16 –* रेलवे निधि (मूल्यह्रास रिजर्व फंड विकास निधि और पूंजीगत निधि) | *विनियोग*<br>*व्यय*<br>*आधिक्य* | *206755000*<br>*211154326*<br>*4399326* | |

*नोट:-अनुदान/विनियोग आंकड़ों में अनुपूरक अनुदान/विनियोग, यदि कोई हो तो, शामिल हैं।*

## 3.5 अनुदानों में निरंतर आधिक्य

2012-13 से 2016-17 तक की पाँच वर्षों की अवधि हेतु लगातार आधिक्य को दर्ज करने वाली अनुदानों की संवीक्षा की गई थी। संवीक्षा से पता चला कि 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान एक विनियोग के राजस्व प्रभारित खंड में निरंतर आधिक्य हुए थे। प्राधिकरण की तुलना में निरंतर आधिक्यों का अनुदानवार तथा वर्षवार विवरण निम्न **तालिका 3.4** में दिया गया है।

**तालिका 3.4: अनुदान/विनियोग में निरन्तर आधिक्य**

| क्र.सं. | अनुदान/विनियोग का विवरण | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| राशि ₹ में | | | | | | |
| **सिविल राजस्व (प्रभारित)** | | | | | | |
| 1. | *रक्षा पेंशन-* | | | | | |
| | *विनियोग* | *8200000* | *42300000* | *100000000* | *30000000* | *13600000* |
| | *व्यय* | *48160400* | *49786943* | *145450236* | *31465728* | *16408608* |
| | *आधिक्य* | *39960400* | *7486943* | *45450236* | *1465728* | *2808608* |

रक्षा पेंशन में अनुदान का निरंतर आधिक्य होना चिंता का विषय है। लोक लेखा समिति द्वारा आधिक्य के मामलों में कमी लाने की सिफारिश के बावजूद अनुदान में निरंतर आधिक्य देखे गए हैं। मंत्रालय को ठोस प्रयास करना चाहिए तथा अत्यधिक व्यय से बचने के लिए वित्तीय अनुशासन का पालन करने हेतु प्रभावी तंत्र विकसित करना चाहिए।

## 3.6 लघु/उप शीर्ष-वार आधिक्य व्यय

जीएफआर 2005 के नियम 58(1) यह अनुबंध करता है कि व्यय करने वाला अधीनस्थ प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि उसके अधीन रखे गए आबंटन में आधिक्य न हो। यदि कहीं आबंटन से अधिक व्यय की शंका हो तो अधीनस्थ प्राधिकारी को अधिक व्यय करने से पूर्व अतिरिक्त आबंटन प्राप्त कर लेना चाहिए।

तथापि, वर्ष 2016-17 के शीर्षवार विनियोग लेखाओं में पाया गया कि 14 अनुदानों के 56 लघु/उप-शीर्षों में, उपलब्ध प्रावधानों से ₹5 करोड़ तथा इससे अधिक का व्यय था। हालांकि, इन लघु/उप-शीर्षों के अंतर्गत उपलब्ध प्रावधानों से ₹1,97,132.09 करोड़ का अधिक व्यय किया गया था, संबंधित अनुदान/विनियोग प्रबंधन अधिकारी ने उपलब्ध प्रावधान से किए गए अधिक व्यय को समायोजित करने के लिए कोई पुनर्विनियोग आदेश जारी नहीं किए थे जो बजटीय नियंत्रण में कमी को दर्शाता है। लघु/उप-शीर्षों, जिसमें अधिक व्यय किए गए थे, की सूची **अनुबंध 3.4** में दी गई है।

## 3.7 अनुदानों/विनियोगों में ₹100 करोड़ अथवा अधिक की बचत

लोक लेखा समिति (10वीं लोक सभा, 1993-94) ने अपनी 60वीं रिपोर्ट (पैरा 1.22 तथा 1.24) में पाया था कि ₹100 करोड़ या इससे अधिक की बचत होना त्रुटिपूर्ण बजट बनाने तथा एक अनुदान या विनियोग में निष्पादन की कमी को दर्शाता है। समिति ने इच्छा व्यक्त की कि प्रत्येक वर्ष अनुदान के खंड में ₹100 करोड़ या इससे अधिक की बचतों के संबंध में संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा एक विस्तृत टिप्पणी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 67 अनुदानों (सिविल, डाक, रेलवे एवं रक्षा सेवाओं सहित) के 84 खंडों में ₹100 करोड़ से अधिक की बचत हुई थी जिसके लिए लोक लेखा समिति (पीएसी) को एक विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणी भेजनी आवश्यक थी। भारी बचत[3] इन अनुदानों में देखी गयी थीं: खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (₹53,478 करोड़), सड़क परिवहन एवं राजपथ मंत्रालय (₹46,838 करोड़), आर्थिक मामले का विभाग (₹13,355 करोड़) कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग (₹8,206 करोड़), वित्तीय मामले का विभाग (₹6,273 करोड़), राज्यों को अंतरण (₹6,044 करोड़), ऊर्जा मंत्रालय (₹5,623 करोड़) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (₹4,387 करोड़), विनियोग-ब्याज भुगतान (₹4,268 करोड़) और उर्वरक विभाग (₹4,009 करोड़)। अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत ₹100 करोड़ अथवा कुल ₹2,28,639.60 करोड़ से अधिक की बचत[4] **अनुबंध 3.5** में दी गईं हैं।

मंत्रालयों/विभागों द्वारा बचतों हेतु 'योजना के अंतिम रूप देने में/अंतिम रूप न देने में देरी', 'गैर-व्यवहार्य/कम प्रस्तावों की प्राप्ति', 'प्रस्तावों को अंतिम रूप न देने', 'वित्त मंत्रालय द्वारा और अर्थव्यवस्था के उपायों के अनुसार संशोधित अनुमान स्तर पर प्रावधानों की कमी', 'राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता', रिक्त पदों का भरा न जाना, और 'उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न करने के कारणों पर आरोपित किए गए।

[3] एक अनुदान/अनुमोदन में संपूर्ण बचत

[4] बचत में अर्थव्यवस्था के उपायों के एक हिस्से के रूप में वित्त मंत्रालय द्वारा लगाए गए अनिवार्य कटौती और कोष्ठक के आंकड़े वर्तमान कुल बचत में शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, 43 अनुदानों/विनियोगों के 51 खण्डों में पिछले तीन वर्षों (2014-15 से 2016-17) के दौरान ₹100 करोड़ तथा अधिक की निरंतर बचत पाई गई थी जिनके विवरण **अनुबंध 3.6** में दिए गए हैं।

## 3.8 बचतों का अभ्यर्पण (संपूर्ण)

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 का नियम 56 प्रावधान करता है कि, अनुदान अथवा विनियोग में बचतों का जैसे ही पूर्वानुमान हो, उन्हें वर्ष के अंतिम दिन की प्रतीक्षा किए बिना सरकार को अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए। बचतों को भविष्य में संभावित आधिक्य के लिए भी आरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान सिविल मंत्रालयों/विभागों के 93 अनुदानों/विनियोगों के 194 खण्डों के अंतर्गत ₹1,90,226.60 करोड़ की बचत थीं। इसे दो अनुदानों के तीन खण्डों के अंतर्गत ₹1,89,154.26 करोड़ के अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया था जिसका परिणाम ₹1072.34 करोड़ की निवल बचत में हुआ। सिविल मंत्रालयों/विभागों द्वारा अभ्यर्पित राशियां **तालिका 3.5** में दर्शाई गई हैं।

**तालिका 3.5: सिविल मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत बचतों और अभ्यर्पण के विवरण**

*(₹ करोड़ में)*

| | निबल बचत | अभ्यर्पित राशि | 31 मार्च को अभ्यर्पित राशि | अभ्यर्पित राशि के प्रति 31 मार्च को अभ्यर्पित राशि प्रतिशतता | अभ्यर्पित न की गई राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| **राजस्व** | | | | | |
| दत्तमत | 125878.69 | 103813.79 | 103795.77 | 99.98 | 22064.90 |
| प्रभारित | 9501.24 | 3671.99 | 3671.99 | 100.0 | 5829.25 |
| **कुल: राजस्व** | **135379.93** | **107485.78** | **107467.76** | **99.98** | 27894.15 |
| **पूंजीगत** | | | | | |
| दत्तमत | 54330.12 | 46443.42 | 46129.26 | 99.32 | 7886.70 |
| प्रभारित | 516.55 | 281.18 | 281.18 | 100.00 | 235.37 |
| **कुल: पूंजी** | **54846.67** | **46724.60** | **46410.44** | **99.33** | 8122.07 |
| **कुल योग** | **190226.60** | **154210.38** | **153878.20** | **99.78** | **36016.22** |

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि सिविल मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत ₹36,016.22 करोड़ की बचत नहीं की गई थी, जो कुल बचत का 18.93 प्रतिशत था। इसके अलावा, लगभग पूर्ण अभ्यर्पित राशि को मार्च 2017 के अंतिम दिन अभ्यर्पित

किया गया था। उपरोक्त तालिका को सकंलित करते समय मंत्रालयो/विभागो द्वारा प्रस्तावित अभ्यर्पणों की तिथि पर विचार किये बिना, सम्बंधित मंत्रालयों/विभागो द्वारा प्रस्तावित अभ्यर्पणों को स्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय द्वारा लेखापरीक्षा आदेश जारी करने की तिथि को ध्यान में रखा गया है। यदि राशि का समय पर अभ्यर्पण किया जाता तो इस राशि को अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में उपयोग/आबंटित किया जा सकता था।

सिविल मंत्रालय/विभागों के सात अनुदानों/विनियोगों के सात खंडों में, अभ्यर्पित राशि अनुदानों के अंतर्गत बचतों से अधिक थी। यह घटिया बजटीय प्रबंधन का सूचक है। ऐसे मामलों के विवरण **अनुबंध 3.7** में दिए गए हैं।

## 3.9 वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन बचतों का अभ्यर्पण (अनुदान-वार)

51 अनुदानों/विनियोगों के 67 खण्डों में, जहाँ बचत ₹100 करोड़ से अधिक हुई थीं, संबंधित मंत्रालयों/विभागों ने, सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 56 के उल्लंघन में वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन (अर्थात् 31 मार्च 2017) बचतों का अभ्यर्पण किया था। बचतों और अभ्यर्पित न की गई राशियों, जो वित्तीय वर्ष के अंत में व्यपगत हो गई थीं, सहित अभ्यर्पणों के विवरण **अनुबंध 3.8** में दिए गए हैं।

## 3.10 अवास्तविक बजटीय प्रक्षेपणों के कारण बड़ी अनुपूरक अनुदान (मूल प्रावधान के 40 *प्रतिशत* से अधिक)

संविधान के अनुच्छेद 114 के अंतर्गत, संसद सरकार को भारत की समेकित निधि से विशिष्ट राशियाँ विनियोजित करने हेतु प्राधिकृत करती हैं। संसद अनुच्छेद 114 के अंतर्गत उस वर्ष के उद्देश्य हेतु पहले बनाए गए प्राधिकार के अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 115 की शर्तों के अनुसार अनुवर्ती विनियोग अधिनियम द्वारा अनुपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान भी प्राधिकृत करती हैं। व्यय के प्रारंभिक अनुमान तैयार करते समय, मंत्रालयों/विभागों को पिछले वर्षों के दौरान संवितरण की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखना चाहिए तथा वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमानों में सभी अपरिहार्य तथा भावी व्यय हेतु प्रावधान करने के लिए आवश्यक सावधानी बरतना सुनिश्चित करना चाहिए। वित्त मंत्रालय यथोचित विचार-विमर्श तथा बजट-पूर्व बैठकों/संवीक्षा के पश्चात् बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देता है।

अनुच्छेद 114 के प्रावधान के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष हेतु किसी विशेष सेवा पर खर्च किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि, उस वर्ष के उद्देश्य हेतु अपर्याप्त पाई जाती है या अनुपूरक हेतु चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोई मांग उत्पन्न हुई हो, अथवा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किसी नई सेवा, जिसका उस वर्ष की वार्षिक वित्तीय विवरणी में विचार न किया गया हो, पर अतिरिक्त व्यय हो, तो अनुच्छेद 115(1)(क) के अनुसार उस व्यय की अनुमानित राशि दर्शाते हुए संसद में एक दूसरी विवरणी (अनुपूरक मांग) प्रस्तुत की जाती है।

**तालिका 3.6** वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्राप्त अनुपूरक प्रावधान (नकद, टोकन और तकनीकी सहित) तथा मूल प्रावधान से उनकी प्रतिशतता दर्शाती है।

**तालिका 3.6 मूल प्रावधान के प्रति अनुपूरक अनुदानों की स्थिति**

| क्षेत्र | 2014-15 | | | 2015-16 | | | 2016-17 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ओ | एस | ओ के प्रति एस का % | ओ | एस | ओ के प्रति एस का % | ओ | एस | ओ के प्रति एस का % |
| सिविल | 5784779.10 | 40796.22 | 0.71 | 5920371.35 | 208252.50 | 3.52 | 6356009.21 | 1291189.84 | 20.31 |
| रक्षा | 245664.72 | 8335.55 | 3.39 | 263395.38 | 746.18 | 0.28 | 227085.52 | 6554.38 | 2.89 |
| डाक | 18659.85 | 350.57 | 1.88 | 19830.91 | 701.75 | 3.54 | 23528.86 | 303.50 | 1.29 |
| रेलवे | 293728.54 | 5871.48 | 2.00 | 337237.92 | 1130.88 | 0.34 | 357332.90 | 4777.20 | 1.34 |
| **कुल** | **6342832.21** | **55353.82** | **0.87** | **6540835.56** | **210831.31** | **3.22** | **6963956.49** | **1302824.92** | **18.71** |

*ओ- मूल; एस- अनुपूरक*

सिविल अनुदान के मामले में पूरक प्रावधान में एक सतत वृद्धि की प्रवृत्ति है। रक्षा एवं रेल के मामलों में, 2015-16 में निम्न स्तर की प्रवृत्ति 2016-17 में वृद्धि की प्रवृत्ति के साथ आगे बढ़ी है, जबकि 2015-16 में वृद्धि की प्रवृत्ति के कारण डाक विभाग के मामले में 2016-17 में कमी आने की संभावना है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि केन्द्रीय सरकार के कुछ मंत्रालयों/विभागों ने अनुपूरक अनुदान/विनियोग प्राप्त किए जो सम्बंधित मांगो में मूल प्रावधानों से अपेक्षाकृत अधिक भी थे। वे मामले, जिनमें अनुपूरक प्रावधान ₹100 करोड़ से अधिक थे एवं मूल प्रावधान से 40 प्रतिशत से अधिक थे जैसा **तालिका 3.7** में दिए गए है।

## तालिका 3.7: बड़े अनुपूरक अनुदानों के विवरण

*(₹ करोड़ में)*

| क्र. सं. | अनुदान का विवरण | मूल प्रावधान | अनुपूरक प्रावधान | मूल प्रावधान के प्रति प्रावधान की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|
| **राजस्व (दत्तमत)** | | | | |
| 1. | 10 -कोयला मंत्रालय | 361.00 | 195.36 | 54 |
| 2. | 14 -दूरसंचार विभाग | 18355.96 | 9448.10 | 51 |
| 3. | 16 -उपभोक्ता मामलों का विभाग | 1239.81 | 6071.01 | 490 |
| 4. | 29 -आर्थिक मामलों का विभाग | 12335.39 | 5969.28 | 48 |
| 5. | 44 -भारी उद्योग विभाग | 392.87 | 5709.15 | 1453 |
| 6. | 47 -कैबिनेट | 419.64 | 226.36 | 54 |
| 7. | 58 -सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय | 3454.22 | 1697.94 | 49 |
| 8. | 86 -इस्पात मंत्रालय | 85.62 | 242.53 | 283 |
| 9. | 87 -कपड़ा मंत्रालय | 4574.30 | 2021.36 | 44 |
| **पूंजीगत (दत्तमत)** | | | | |
| 1. | 8 –औषधि विभाग | 0.10 | 100.00 | 100000 |
| 2. | 9 –नागरिक उड्डयन मंत्रालय | 1780.20 | 930.72 | 52 |
| 3. | 11-वाणिज्य विभाग | 100.00 | 116.00 | 116 |
| 4. | 15 –इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना कार्मिक विभाग | 239.11 | 110.01 | 46 |
| 5. | 17 –खाद्य एवं लोक संवितरण विभाग | 10601.60 | 40550.01 | 382 |
| 6. | 44 –भारी उद्योग विभाग | 907.13 | 1367.29 | 151 |
| 7. | 66 –पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय | 2.00 | 2450 | 122500 |
| 8. | 68 –ऊर्जा मंत्रालय | 3721.82 | 1789.85 | 48 |
| 9. | 74 –सड़क परिवहन एवं राजपथ मंत्रालय | 54707.00 | 31972.70 | 58 |
| 10. | 87 –कपड़ा मंत्रालय | 20.52 | 168.10 | 819 |
| 11. | 95 –शहरी विकास मंत्रालय | 11405.42 | 5820.06 | 51 |
| **पूंजीगत (प्रभारित)** | | | | |
| 12. | 32 –राज्यों को अंतरण | 12600.00 | 5500.00 | 44 |
| 13. | 91 –चंडीगढ़ | 50.00 | 200.00 | 400 |

बड़े अनुपूरक प्रावधान दर्शाते हैं कि मंत्रालयों/विभागों ने वास्तविक आधार पर व्यय के अनुमान तैयार नहीं किए थे तथा कि यथार्थवादी बजटीय अनुमान

सुनिश्चित करने हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा संवीक्षा तथा पूर्व-बजट बैठकें करने का तंत्र वांछित रूप से प्रभावी नहीं था।

लोक लेखा समिति ने अपने 92वें प्रतिवेदन (15वीं लोकसभा 2013-14) में संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु अनुपूरक अनुदानों की बड़ी राशि प्राप्त करने के बावजूद दत्तमत अनुदानों एवं प्रभारित व्यय से अधिक किए गए व्यय को नियमित करते हुए पाया कि वित्त मंत्रालय का बजटीय प्रावधान के साथ व्यय के वृहत संगति को सुनिश्चित करने के लिए साधनों पर सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों के अध्ययन की शुरुआत करनी चाहिए। राजकोषीय वर्ष के दौरान मुख्य बजट के अतिरिक्त अनुपूरकों की मांग का चलन बजटीय प्रावधानों की शुद्धता को कम करता है। अभ्यास में ज्ञात व्ययों को मुख्य बजट में नहीं दर्शाए जाते हैं लेकिन बाद के पूरकों के माध्यम से मॉग की जाती है। अनुपूरक बजट सामान्यत: अपरिहार्य लोकहित के लिए किए गए व्यय के अप्रत्याशित मदों अथवा योजनाओं के लिए होना चाहिए।

इसके अलावा, 19वीं रिपोर्ट (16वीं लोकसभा 2014-15) में लोक लेखा समिति ने वित्त मंत्रालय से यह पूछा था कि क्या मंत्रालयों/विभागों के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, ताकि उनके प्रस्तावों को प्रस्तुत करने से पहले यथार्थवादी आधार पर अनुपूरक अनुदान की मॉग हो सके ताकि संसद में अतिरिक्त प्रावधान धन की वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप हो। वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामले विभाग) ने प्रस्तुत किया था कि मौजूदा आदेश/निर्देश और पत्र, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अनुदान के लिए अनुपूरक मांगों को बुलाते हुए, दोबारा दोहराते हुए मांग करने से पहले अनुदान के लिए पूरक मांगों के माध्यम से संसद के अनुमोदन से पहले एक यथार्थवादी तरीके से धन की आवश्यकता का आंकलन करने की आवश्यकता स्पष्ट करता है।

### 3.11 अनावश्यक नकद अनुपूरक प्रावधान (अनुदान-वार)

20 अनुदानों के 22 मामलों में, जिनके ब्यौरे **तालिका 3.8** में दिए गए हैं, 2016-17 के दौरान ₹11,481.10 करोड़ के कुल नकद अनुपूरक प्रावधान अधिक व्यय की प्रत्याशा में प्राप्त किए गए थे, परंतु 18 अनुदानों में अंतिम व्यय, मूल प्रावधानों से भी कम था। अत: अप्रयुक्त नकद अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था जो त्रुटिपूर्ण बजटीकरण का सूचक है। 'नकद अनुपूरक' प्राप्त करने के बजाय,

मंत्रालयो/विभागों को, वर्ष के अंत में बचतों से बचने के लिए अनुदान के भीतर 'टोकन' या 'तकनीकी अनुपूरक' प्राप्त करके उपलब्ध बचतों का उपयोग करने की संभावना को तलाशना चाहिए।

**तालिका 3.8: अनावश्यक नकद अनुपूरक जो बचतों का कारण बना**

*(₹ करोड़ में)*

| क्र. सं. | अनुदान/विनियोग | मूल प्रावधान | प्राप्त कुल अनुपूरक अनुदान | नकद अनुपूरक | वास्तविक संवितरण | बचत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **सिविल अनुदान** | | | | | | |
| **राजस्व दत्तमत** | | | | | | |
| 1. | 1 –कृषि सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग | 35952.83 | 12826.55 | 3826.48 | 40595.11 | 8184.27 |
| 2. | 3 –पशुपाल,डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग | 2395.45 | 100.07 | 100.00 | 2368.30 | 127.22 |
| 3. | 17 –खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग | 142102.51 | 291.83 | 27.56 | 116008.39 | 26385.95 |
| 4. | 20 -रक्षा मंत्रालय (विविध) | 56449.44 | 4564.73 | 1068.36 | 58043.18 | 2970.99 |
| 5. | 28 -विदेश मंत्रालय | 11679.63 | 600.03 | 600.00 | 11159.50 | 1120.16 |
| 6. | 29 –आर्थिक मामलों का विभाग | 12335.39 | 5969.28 | 60.00 | 6721.32 | 11583.35 |
| 7. | 37 –राजस्व विभाग | 11868.99 | 45.03 | 38.00 | 11024.12 | 889.90 |
| 8. | 42 –स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय | 38899.71 | 2813.34 | 1281.78 | 37859.65 | 3853.40 |
| 9. | 51 –विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग | 63826.65 | 342.13 | 342.04 | 62636.69 | 1532.09 |
| 10. | 53 –सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय | 4036.06 | 77.36 | 77.35 | 3933.85 | 179.57 |
| 11. | 66 –पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय | 29158.62 | 81.16 | 81.14 | 27780.29 | 1459.49 |
| 12. | 81 –कौशल विकास मंत्रालय | 1770.55 | 368.75 | 368.72 | 1544.10 | 595.20 |
| 13. | 82 –सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग | 6226.95 | 30.50 | 3.44 | 6204.22 | 53.23 |
| 14. | 84 –अंतरिक्ष विभाग | 4155.38 | 300.28 | 1.14 | 4452.80 | 2.86 |
| 15. | 85 –सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन कार्यक्रम मंत्रालय | 4724.83 | 7.01 | 6.99 | 4248.16 | 483.68 |
| 16. | 89 –जनजातीय मामलों का मंत्रालय | 768.14 | 2.03 | 1.50 | 723.95 | 46.22 |
| 17. | 95 –शहरी विकास मंत्रालय | 15502.67 | 2621.05 | 2521.00 | 15395.49 | 2728.23 |
| 18. | 97 –महिला बाल विकास मंत्रालय | 17878.12 | 417.25 | 217.18 | 17067.61 | 1227.76 |
| **राजस्व प्रभारित** | | | | | | |
| 19. | 20 –रक्षा मंत्रालय (विविध) | 15.24 | 1.45 | 0.75 | 5.03 | 11.66 |
| **पूंजीगत दत्तमत** | | | | | | |
| 20. | 36 –भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग | 11.50 | 2.69 | 2.69 | 9.15 | 5.04 |

| क्र. सं. | अनुदान/विनियोग | मूल प्रावधान | प्राप्त कुल अनुपूरक अनुदान | नकद अनुपूरक | वास्तविक संवितरण | बचत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | 48 –पुलिस | 9035.51 | 842.99 | 842.98 | 8868.18 | 1010.32 |
| **पूंजीगत प्रभारित** | | | | | | |
| 22. | 48 –पुलिस | 6.66 | 12.00 | 12.00 | 5.73 | 12.93 |
| | | | **कुल** | **11481.10** | | |

वित्त मंत्रालय को ऐसे मामलों की समीक्षा करनी चाहिए तथा इस संबंध में सभी मंत्रालयों तथा विभागों को उपयुक्त दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार करना चाहिए।

### 3.12 लघु/उप-शीर्षों को अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन (₹5 करोड़ से अधिक)

लेखाओं की जांच से पता चला कि सिविल मंत्रालयों/विभागों, डाक तथा रक्षा सेवाओं की 12 अनुदानों/विनियोगों के 18 मामलों में कुल ₹1,277.00 करोड़ का पुनर्विनियोग अविवेकपूर्ण था, क्योंकि लघु/उप-शीर्षों, जिसमें पुनर्विनियोग माध्यम से संवर्द्धन किया गया था, के अंतर्गत मूल प्रावधान, पर्याप्त से अधिक था। इन अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग के परिणामस्वरूप शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत, इन शीर्षों में पुनर्विनियोजित राशि से अधिक थी। वे 18 मामले, जिनमें ₹5 करोड़ तथा अधिक के अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग किए गए थे, **अनुबंध 3.9** में दिए गए हैं।

### 3.13 लघु/उप-शीर्षों से अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग (₹5 करोड़ से अधिक)

इसी प्रकार, लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि सिविल मंत्रालयों/विभागों डाक एवं रक्षा की 10 अनुदानों/विनियोगों के चार मामलों में कुल ₹10.33.00 करोड़ की निधियों का अन्य शीर्षों में अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप संवितरण हुआ जोकि स्वीकृत प्रावधान से अधिक था। इन प्रत्येक शीर्षों में अतिरिक्त व्यय राशि को पुन: विनियोजित किया गया था। ₹5 करोड़ और इससे अधिक का विवेकपूर्ण पुर्न-विनियोजन का ब्यौरा **अनुबंध 3:10** में दिया गया है।

### 3.14 उप-शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करते समय, मंत्रालय/विभागों ने संसद को, विविध योजनाओं/क्रियाकलापों के अंतर्गत विभिन्न उद्देश्यों हेतु बड़ी अतिरिक्त मांग सूचित की थी, लेकिन अन्ततः वे न केवल संपूर्ण अनुपूरक प्रावधान या उसका एक भाग

बल्कि मूल बजट प्रावधान का कुछ भाग भी खर्च करने में असमर्थ थे। 18 अनुदानों/विनियोगों के 34 लघु/उप-शीर्षों, जिनमें मूल बजट प्रावधान के भाग अनुपूरक अनुदान जहॉ ₹ पॉच करोड़ से अधिक है सहित संपूर्ण अनुपूरक अनुदान, अव्ययित रहे थे, के विवरण **अनुबंध 3.11** में दिए गए हैं।

## 3.15 संपूर्ण प्रावधान की बचत (उप-शीर्ष वार)

20 अनुदानों/विनियोगों के 40 उप-शीर्षों में, संसद द्वारा प्राधिकृत कुल ₹1,25,305.38 करोड़ का संपूर्ण प्रावधान (₹50 करोड़ तथा अधिक) मंत्रालयों/विभागों द्वारा खर्च नहीं किया जा सका और अप्रयुक्त रहा।

संपूर्ण प्रावधान की बचत होना इस तथ्य का सूचक है कि अनुमान परियोजनाओं/योजनाओं की पर्याप्त संवीक्षा करने के बाद तैयार नहीं किए गए थे। प्रमुख योजनाएं जो संपूर्ण प्रावधान के उपयोग न होने के कारण आगे नहीं बढ़ पायी अथवा प्रभावित हुई, निम्न हैं:-

- विनियोग- ऋण का पुनर्भुगतानः 'नकद प्रबंधन बिल' (₹1,00,000 करोड़), नकद प्रबंधन बिलों का उपयोग न करने के कारण और भारत मिलेनियम डिथोंजिट के संबंध में वैलयू खाते के रखरखाव के लिए (₹443 करोड़) आरबीआई को जारी किए गए प्रतिभूति-पहले से समायोजित दावों के कारण;
- कृषि, सहयोग और कृषक कल्याण विभाग, 'प्रावधान समायोजन' (₹5,204 करोड़)-योजना के अनुमोदन न होने के कारण;
- आर्थिक मामलों के विभाग: 'रेलवे को भुगतान' (₹4,301 करोड़)। रेलवे को सब्सिडि जारी न होने के कारण 'आईएमएफ को नई व्यवस्था की तहत ऋण (एनएबी)' (1,486 करोड़)-भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज के लिए नई व्यवस्था के तहत आईएमएफ का ऋण प्रदान करने के लिए कम धन की आवश्यकता के कारण' और 'भारतीय कम्पनियों के लिए ब्याज समेकन समर्थन' (500 करोड़)-एक्सिस बैंक द्वारा शून्य वितरण के चलते इस योजना के अंतर्गत ड्रा-डाउन के गैर-प्रारम्भ होने के कारण;
- शहरी विकास मंत्रालय: 'राष्ट्रीय स्वच्छता कोष को अंतरण' (₹2,300 करोड़)-बजट के शीर्षों में अनजान प्रावधान के कारण;
- खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग: 'अंतर्राजीय कार्यक्रमों के लिए व्ययों के लिए राज्यों, को केन्द्रीय सहायता, एनएफएसए के अंतर्गत अनाज और

एफपीएस डीलरों के मार्जिन पर व्यय के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता' (₹2,200 करोड़)-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं से कार्यान्वयन के क्रियान्वित शीर्षों के लिए स्थानान्तरण के कारण;

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग: 'राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रमों और पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए सामग्री सहायता' (₹1,870 करोड़)-योजना के गैर-संग्रहण के कारण;
- विनियोग-ऋण पुर्नभुगतान: 'नकद प्रबंधन बिल' (₹1,000 करोड़)-अधिशेष निधियों की उपलब्धता के कारण नकद प्रबंधन बिल जारी न करने के कारण;
- राज्यों को अंतरण: 'स्वायत इकाईयों को अनुदान छठी अनुसूची के अंतर्गत शामिल क्षेत्र' (₹1,000 करोड़)-लंबित उपयोग प्रमाण-पत्र के कारण प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण; और
- वित्तीय मामलों का विभाग: 'सुरक्षा विमोचन निधि' (₹625 करोड़)-शेष राशि वापस लिखने के निर्णय के कारण;

उप-शीर्ष का ब्यौरा जहां ₹50 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान अप्रयुक्त हो, **अनुबंध 3.12** में दिया गया है।

### 3.16 एक उप-शीर्ष के अंतर्गत ₹100 करोड़ या अधिक की बचत

विनियोग लेखाओं की संवीक्षा ने प्रकट किया कि कुछ अनुदानों तथा विनियोगों के अंतर्गत एक उप-शीर्ष में ₹100 करोड़ या अधिक की बचत पाई गई थी जो कि मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली संबंधित योजनाओं के खराब बजटीकरण या निष्पादन में कमी या दोनों को इंगित करती हैं। मंत्रालय/विभाग द्वारा न केवल अनुमानों तथा वास्तविकताओं के बीच बड़े पैमाने पर विचलनों को कम करने, बल्कि दुर्लभ संसाधनों को लाभकारी ढंग से उपयोग करने हेतु अपनी बजटीय प्रक्रिया को अधिक वास्तविक बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इन मंत्रालयों/विभागों को अपनी बजटीय अनुमान की व्यवस्था और/अथवा अपने कार्यक्रम प्रबंधन की दक्षता की समीक्षा करनी चाहिए। **अनुबंध 3.13,** एक उप-शीर्ष के अंतर्गत स्वीकृत प्रावधानों के 10 *प्रतिशत* से अधिक की तथा ₹100 करोड़ या अधिक की 123 ऐसी बड़ी बचतों का ब्यौरा संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा दिए गए कारणों सहित प्रदर्शित करता है।

निम्नलिखित कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत बड़ी बचत हुई:-

- **विनियोग- ऋण का पुनर्भुगतान:** अर्थोपाय अग्रिमों के कम उपयोग तथा ओवर ड्राफ्ट के कारण 'भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिमों' (₹5,00,000 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति) के अंतर्गत ₹3,36,511 करोड़;.
- **खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग** : 'भारतीय खाद्य निगम' (एफसीआई) को देय अर्थोपाय अग्रिमों' (₹50,000 करोड़ के बजटित प्रावधान के प्रति) ऋणों के कारण एफसीआई द्वारा ₹27,000 करोड़ कम मूल्य अन्य चैनलों के माध्यम से दिए गए और वित्त मंत्रालय द्वारा एफसीआई को देय सब्सिडी में कमी और आरई चरण में प्रावधान में कमी के कारण ₹25,250 करोड़ 'एफसीआई को देय अनुदान और अन्य अनाज लेनदेन पर' (₹1,03,585 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति)।
- **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**: ₹19,743 करोड़ 'ब्लॉक अनुदान से केंद्रीय सड़क निधि में स्थानांतरण' के लिए (₹29,847 करोड़ के बजटित प्रावधान के प्रति) और ₹7,500 करोड़ वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार राजस्व से पूंजी अनुभाग के प्रावधान का पुन: वर्गीकरण करने के कारण (₹7,544 करोड़ के बजटित प्रावधान के प्रति) 'राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी ब्रीज शुल्क निधि में स्थानांतरण' के तहत और 'राज्य सड़क के लिए अनुदान' के तहत ₹5,807 करोड़ (₹10,833 करोड़ के बजटित प्रावधान के प्रति) चालू परियोजनाओं की धीमी प्रगति के कारण वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकारों से नई सड़कों के निर्माण के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त होने पर केन्द्रीय सड़क निधि सेस की कमी और उपयोग प्रमाण पत्र की गैर-प्राप्ति के कारण ₹5,033 करोड़' केंद्रीय सड़क निधि में स्थानांतरण' के तहत वित्त मंत्रालय के निर्देश के अनुसार वित्त पोषण पैटर्न में परिवर्तन और राजस्व से पूंजी अनुभाग के प्रावधान का पुनः वर्गीकरण के कारण (₹33,137 करोड़ के बजटित प्रावधान के प्रति) और केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, वितरण सूत्र के संशोधन, राज्य सार्वजनिक निर्माण विभागों को कुछ परियोजनाओं के हस्तांतरण, काम की धीमी प्रगति और समय पर ठेकेदारों से बिलों की प्राप्ति के कारण आरई चरण के केन्द्रीय सड़क निधि सेस में कमी के कारण 'राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण' (बजट के प्रावधान के प्रति ₹19,653 करोड़) के तहत ₹4,743 करोड़।

- **आर्थिक मामलों के विभाग**: वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण 'वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष को हस्तांतरण' के अंतर्गत ₹5,500 करोड़ (₹5,889 करोड़ के बजट के प्रावधान के प्रति) और राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि की गतिविधियों में कमी के कारण नेशनल इनवेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एनआईआईएफ) 'के अंतर्गत ₹3,985 करोड़ (₹4,000 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति)।
- **वित्तीय सेवा विभाग**: राष्ट्रीय निवेश कोष में अनुमानित और उसके परिणामस्वरूप कम अंतरण की तुलना में विनिवेश की प्राप्ति में कमी के कारण 'राष्ट्रीय निवेश निधि' के अंतर्गत ₹4,530 करोड़ (₹4,625 करोड़ के बजटित प्रावधान के प्रति)।
- **उर्वरक विभाग**: स्वदेशी फॉस्फेटिक और पोटासिक (पी एंड के) उर्वरकों के प्रति कम दावों की प्राप्ति के कारण पोषक तत्व आधारित आर्थिक नीति के अंतर्गत ₹4,257 करोड़ (₹23,100 करोड़ के बजटित प्रावधान के प्रति)।
- **पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय**: एलपीजी की बिक्री की मात्रा में गिरावट और अधिक उपभोक्ताओं द्वारा एलपीजी पर आर्थिक सहायता को छोड़ने के कारण एलपीजी के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटीएल)' के तहत ₹4,020 करोड़ (₹17,020 करोड़ के बजट प्रावधान के प्रति)।
- ***विनियोग - ब्याज भुगतान***: ब्याज दरों को सरल करने और जारी करने की कम मात्रा के कारण ₹3,352 करोड़ के अंतर्गत 'ट्रेजरी बिलों पर छूट -91 दिन के ट्रेजरी बिल' (₹ 13,864 करोड़ के बजटित प्रावधान के प्रति)।
- **राज्यों को स्थानांतरण**: उपयोग प्रमाणपत्रों को जमा नहीं करने और विधिवत रूप से गठित स्थानीय निकायों के अस्तित्व के कारण 'स्थानीय निकायों के लिए अनुदान' के अंतर्गत ₹3,000 करोड़ (₹48,868 करोड़ के बजटित प्रावधान के प्रति)।

## 3.17 निरंतर बचत (उप-शीर्ष वार)

विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि तीन वर्षों की अवधि 2014-15 से 2016-17 के दौरान 12 अनुदानों तथा विनियोगों के अन्तर्गत 15 उप-शीर्षों के अन्तर्गत स्वीकृत प्रावधानों के 10 प्रतिशत से अधिक एवं ₹100 करोड़ से अधिक निरन्तर बचत पाई गई हैं, जो मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही

संबंधित योजना/क्रियाकलाप मदों के संबंध में खराब बजटीकरण या निष्पादन में कमी या दोनों को दर्शाती हैं। 15 उप-शीर्षों के ब्यौरे **अनुबंध 3.14** में दिए गए हैं।

## 3.18 मार्च तथा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान अंधाधुंध व्यय

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 56(3) के अनुसार, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में अंधाधुंध व्यय वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाएगा तथा इससे बचा जाना चाहिए। वित्त मंत्रालय ने सितम्बर 2007 में मार्च तथा वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय को बजट अनुमानों के क्रमश: 15 *प्रतिशत* तथा 33 *प्रतिशत* तक सीमित करने के लिए मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी किए थे।

मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर **तालिका 3.9** में दिए गए 12 मामलों में यह पाया गया है कि संवितरण का मुख्य भाग माह मार्च 2017 या वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में किया गया था जिससे नियमों के प्रावधानों तथा प्रचलित निर्देशों का उल्लंघन होता था।

**तालिका 3.9: मार्च 2017 और/अथवा 2016-17 की अन्तिम तिमाही के दौरान अन्धाधुंध व्यय**

***(₹ करोड़ में)***

| क्र. सं. | अनुदानों का विवरण | बजट अनुमान (संशोधित अनुमान) | मार्च में व्यय | मार्च में व्यय की प्रतिशतता # | अंतिम तिमाही के दौरान किया गया व्यय | अंतिम तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता# | मंत्रालय/विभाग द्वारा प्रस्तुत कारण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **सिविल** | | | | | | | |
| 1. | 8 फार्मास्यूटिकल्स विभाग | 211.40 (211.40) | 125.31 | 59.28 (59.28) | 132.37 | 62.62 (62.62) | उत्तर प्रतीक्षित है। |
| 2. | 18 - कॉर्पोरेट मामला मंत्रालय | 344.43 (414.57) | 78.68 | 22.84 (18.98) | 141.99 | 41.22 (34.25) | मंत्रालय ने जुलाई 2017 में कहा था कि बीई में आबंटन ₹344.43 करोड़ था और अनुपूरक के पहले,दूसरे और तीसरे बैच के अंतर्गत अनुपूरक आबंटन ₹75.51 करोड़ था। यह नोट किया जाए कि अंतिम तिमाही और पिछले माह की सीमा पर अनुपूरक आबंटन लागू नहीं होते है। |
| 3. | 20 - रक्षा मंत्रालय (विविध) | 68537.63 (74040.74) | 13617.35 | 19.87 (18.39) | 22792.20 | 33.26 | उत्तर प्रतीक्षित है। |

| क्र. सं. | अनुदानों का विवरण | बजट अनुमान (संशोधित अनुमान) | मार्च में व्यय | मार्च में व्यय की प्रतिशतता # | अंतिम तिमाही के दौरान किया गया व्यय | अंतिम तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता# | मंत्रालय/विभाग द्वारा प्रस्तुत कारण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 30 -वित्तीय सेवाएं विभाग | 33755.52 (36765.00) | 16367.68 | 48.49 (44.52) | 22279.77 | 66.00 (60.60) | जुलाई 2017 में मंत्रालय ने बताया कि क्रमश: अंतिम तिमाही और पिछले माह में 33% और 15% की शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है क्योंकि वर्ष 2016-17 हेतु अनुपूरक मांग के दूसरे और तीसरे बैच के आधार पर मुख्य व्यय किया गया है। |
| 5. | 37 - राजस्व विभाग | 11925.01 (11108.36) | 4627.92 | 38.81 (41.66) | 4713.89 | 39.53 (42.44) | विभाग ने बताया कि सीएसटी/वैट से बाहर निकलने के कारण राज्य और संघ शासित प्रदेशों को सीएसटी मुआवजे के अनुसूची से बाहर होने से हुई राजस्व हानि के कारण किया गया था। |
| 6. | 41- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय | 636.02 (729.00) | 177.32 | 27.88 (24.32) | 246.50 | 38.76 (33.81) | मंत्रालय ने बताया कि अनुपूरक अनुदान के तीसरे बैच के माध्यम से अतिरिक्त निधियों के लिए अनुमोदन को मार्च 2017 में प्राप्त किया गया था इसलिए व्यय भी केवल मार्च 2017 में किया जा सकता था। |
| 7. | 43- स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग | 1144.80 (1344.80) | 26.94 | -- | 510.94 | 44.63 (37.99) | विभाग ने बताया कि अनुपूरक अनुदान के दूसरे बैच के माध्यम से आईसीएम आर को अतिरिक्त निधि के निर्गम हेतु अनुमोदन जनवरी 2017 में प्राप्त हुआ था इसलिए आईसीएमआर को अनुदान का निर्गम उसके बाद ही किया जा सका था। |

| क्र. सं. | अनुदानों का विवरण | बजट अनुमान (संशोधित अनुमान) | मार्च में व्यय | मार्च में व्यय की प्रतिशतता # | अंतिम तिमाही के दौरान किया गया व्यय | अंतिम तिमाही के दौरान व्यय की प्रतिशतता# | मंत्रालय/विभाग द्वारा प्रस्तुत कारण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | 47- मंत्रिमंडल | 419.64 (646.00) | 35.35 | -- | 239.66 | 57.11 (37.10) | विभाग ने बताया कि आरई 2016-17 बढ़ा दिया गया था और अतिरिक्त राशि को अनुपूरक अनुदान के दूसरे बैच में प्राप्त किया गया था और इसे जनवरी 2017 में उपलब्ध करवाया गया था। इसलिए, वि.व. 2016-17 की अंतिम तिमाही में बड़ा व्यय हुआ है। |
| 9. | 55- निर्वाचन आयोग | 121.52 (146.00) | 51.21 | 42.14 (35.08) | 64.70 | 53.24 (44.32) | विभाग ने बताया कि पूँजीगत व्यय को वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में अनुपूरक बजट के माध्यम से प्राप्त किया गया है और तदनुसार वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय किया गया है। |
| 10. | 81- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय | 1804.28 (2173.00) | 515.66 | 28.58 (23.73) | 613.86 | 34.02 | मंत्रालय ने बताया कि मंत्रालय के प्रतिष्ठित कार्यक्रम अर्थात् प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) ने प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने पर एक बार अंतिम भुगतान की परिकल्पना की थी। इसलिए, व्यय की गति में विलंब हुआ था। |
| 11. | 86 - इस्पात मंत्रालय | 85.62 (438.11) | 399.36 | 466.00 (91.16) | 407.42 | 475.85 (92.99) | मंत्रालय ने जुलाई 2017 में बताया कि अनुपूरक के तीसरे बैच में वित्त मंत्रालय द्वारा राशि प्रदान की गई थी क्योंकि मार्च के माह में अनुदान जारी किए गए थे। |
| **रक्षा** | | | | | | | |
| 12. | 23 - रक्षा सेवाओं पर पूँजी परिव्यय | 78586.68 (71700.00) | 12897.19 | 16.41 (17.99) | 25230.48 | -- | उत्तर प्रतीक्षित है। |

# - कोष्ठकों में आंकड़े संशोधित अनुमानों के संदर्भ में प्रतिशत दर्शाते हैं।

उपरोक्त मामलों में, कुछ मंत्रालयों ने बताया कि वित्त मंत्रालय द्वारा राशि अनुदान पूरक अनुदानों में प्रदान की गई थी और वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में जारी की जा सकती है। इसलिए व्यय अंतिम तिमाही/मार्च 2017 में ही किया जा सकता था।

चूंकि विभिन्न संगठनों को मार्च में जारी की गई निधियॉ वर्ष के दौरान रचनात्मक रूप से खर्च नहीं की जा सकती, जो उसी माह के अंतिम दिन पर समाप्त होती हैं इसलिए यह निष्कर्ष निकालना असंभव है कि क्या ये निधियां उसी वर्ष उसी उद्देश्य के लिए प्रयुक्त की गई जिसके लिए वह प्राधिकृत की गई थीं।

## 3.19 रक्षा सेवाएं अनुदानों में निरंतर बचत (लघु शीर्ष-वार)

रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखाओं की संवीक्षा ने दो अनुदानों के लघु शीर्षों के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान बचतों की निरन्तर प्रवृत्ति (₹100 करोड़ से अधिक) प्रकट किया जिसका विवरण **तालिका 3.10** में दिया गया है।

**तालिका 3.10: वर्ष 2014-17 के दौरान निरन्तर बचत**

***(₹ करोड़ में)***

| क्र.सं. | अनुदान का विवरण उप मुख्य/लघु शीर्ष | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 |
|---|---|---|---|---|
| **22 - रक्षा सेवा (राजस्व)** | | | | |
| 1. | 2076.00.101- सेना के वेतन और भत्ते (दत्तमत) | 209.11 | 916.04 | 243.23 |
| 2. | 2078.00.111 -निर्माण कार्य (दत्तमत्त) | 197.08 | 160.62 | 294.59 |
| **23 - रक्षा सेवाओं पर पूँजी परिव्यय** | | | | |
| 3. | 4076.01.102 -भारी और मध्यम वाहन (दत्तमत्त) | 1385.50 | 336.98 | 1051.86 |
| 4. | 4076.02.104 - संयुक्त कर्मचारी (दत्तमत्त) | 384.92 | 200.38 | 158.99 |
| 5. | 4076.03.103- अन्य उपकरण (दत्तमत्त) | 7133.62 | 2594.42 | 982.85 |

अनुदानों के उपरोकथित शीर्षों में भारी बचतों की निरंतर प्रवृत्ति, निधियों की आवश्यकता से अधिक अनुमान लगाने के संकेतक है।

## 3.20 रक्षा सेवा अनुदानों में बचतों का अभ्यर्पण

अनुदान अथवा विनियोग में बचतों का पूर्वानुमान होने पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना अभ्यर्पित करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, बचतों को सम्भावित भावी आधिक्यों हेतु भी आरक्षित नहीं किया जाना चाहिए।

वर्ष 2016-17 के दौरान प्रभारित खण्ड के अंतर्गत अनुदान सं.22-रक्षा सेवाएं (राजस्व) ₹29.71 करोड़ की बचत के प्रति ₹7.07 करोड़ का अभ्यर्पण किया गया था तथा दत्तमत खण्ड के अंतर्गत ₹2,823.77 करोड़ की बचतों के प्रति ₹1,781.82 करोड़ का अभ्यर्पण किया था। अनुदान सं. 23-रक्षा सेवाओं के पूंजीगत परिव्यय में दत्तमत खण्ड के अंतर्गत ₹4,489.15 करोड़ का अभ्यर्पण शून्य बचतों के प्रति किया गया था। ₹6,278.04 करोड़ की समग्र अभ्यर्पित राशि को वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पित किया गया था, जैसा कि **तालिका 3.11** में ब्यौरा दिया गया है।

**तालिका 3.11: बचतों एवं अभ्यर्पण का विवरण**

*(₹ करोड़ में)*

| अनुदान/विनियोग | बचत | | वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पित राशि | | अभ्यर्पित न की गई राशि (व्यपगत) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | प्रभारित | दत्तमत | प्रभारित | दत्तमत | प्रभारित | दत्तमत |
| 22 - रक्षा सेवा (राजस्व) | 29.71 | 2823.77 | 7.07 | 1781.82 | 22.64 | 1041.95 |
| 23 - रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | -- | -- | -- | 4489.15 | -- | -- |
| **कुल** | **29.71** | **2823.77** | **7.07** | **6270.97** | **22.64** | **1041.95** |

## 3.21 निष्कर्ष

संघ सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुदानों/विनियोगों के 12 खण्डो में कुल ₹1,90,270 करोड़ का अधिक संवितरण किया गया था जो वर्ष 2016-17 के दौरान किए गए विनियोग अधिनियम के प्राधिकरण से अधिक था। इन अधिक व्ययों को संविधान के अनुच्छेद 115 (1) (ख) के अनुसार नियमित किया जाना अपेक्षित है। रक्षा पेंशन के अनुदान/विनियोग निरंतर प्राधिकृत राशि से अधिक व्यय कर रहे हैं। अन्य कमियां जैसे अनुदानों/विनियोगों में कुल ₹2,28,640 करोड़ की बड़ी राशि की बचत (₹100 करोड़ से अधिक) के विभिन्न खण्डो में वर्ष के दौरान बड़ी राशि की अनुपूरक अनुदान प्राप्त करना जो अंतत: अप्रयुक्त रहीं, वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन बचतों का अभ्यर्पण दर्शाती है कि आंरभिक बजट तैयार करने की प्रक्रिया के पुनर्रोभमुखीकरण और बजट के कार्यान्वयन की निगरानी तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है।